स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/प–1/1/12/वि/स्था/2019/12350-12352 दिनांकः 03-10-2019

वास्तेः–

.....

.....

.....

विषयः–"लिपिक ग्रेड–II संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013" में चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में।
प्रसंगः– प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग का पत्र क्रमांक प. 1(6)प्रसु/अनु–3/2017 दिनांकः 27.09.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र दिनांक 27.09.2019 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित मण्डल को आवंटित अभ्यर्थियों की निम्नानुसार सूची प्राप्त हुई है। जिनकी पात्रता की जांच मूल दस्तावेजों से की जानी है।

क्रमांक	मेरिट नं.	रोल नम्बर	नाम	मो0 न0
1.	722	470102	विक्रम पुरोहित	8233633765 7737785374
2.	831	659490	राजू सिंह	8952980765
3.	6007	609426	दिलीप कुमार वर्मा	9929634978 9929784488

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 10.10.2019 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक निम्नांकित मूल दस्तावेजात के साथ अपनी पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष उपस्थित होवें। आपको इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया व भत्ता आदि देय नहीं होगा।

1. कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म दिनांक अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हों।
2. कक्षा 10 से अंतिम शैक्षणिक योग्यताओ की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. आवेदक का पहचान पत्र।
5. यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ठ खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ठ खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र।
6. यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
7. यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।
8. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/ विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 01.06.2002 के पश्चात् 02 से अधिक संतान नहीं होने/ विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धुम्रपान एवं गुटखा सेवान न करने के संबंध में वचनबद्वता **(Undertaking)**
9. अनुसचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
10. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का